



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 733]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2015/अग्रहायण 9, 1937

No. 733]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015/AGRAHAYANA 9, 1937

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 908(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसमें केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा-14 की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के पश्चात उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो उसे महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग हवाईअड्डा के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजे;

उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेप या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2015 है।
(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वायुयान नियम, 1937 में (इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है),
(क) नियम 39 ग में,-
उप- नियम (5) में, "चालीस" शब्द के स्थान पर "साठ" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. ए.वी.11012/144/2015-ए]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 23 मार्च, 1937 की अधिसूचना संख्या वी-26 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए और अंतिम संशोधन तारीख 10 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 78(अ) द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2015

G.S.R. 908(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft rules

- (1) These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Aircraft Rules, 1937, in rule 39C, in sub-rule (5), for the word “forty”, the word “sixty” shall be substituted.

[F. No. AV.11012/144/2015-A]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide Notification number G.S.R. 78(E), dated the 10th February, 2015.